



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 312 राँची, सोमवार, 31 ज्येष्ठ, 1943 (श०)
21 जून, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश

9 अप्रैल, 2021

आ.सं.:- SUDA/AMRUT/15th FC-PFMS/17/2021/UDHD/49-- महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 27.11.2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई तथा आयोग को राज्यों के संचित निधि में बढ़ोतरी के लिए उपाय सुझाने का दायित्व सौंपा गया। उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 से 2025-26 हेतु सौंपे गये प्रतिवेदन को भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2. 15वें वित्त आयोग द्वारा सहायता अनुदान की राशि आवंटित करने हेतु जनसंख्या के आधार पर नगर निकायों को दो भाग में रखा गया है:- Million Plus-Cities एवं Non Million Cities.

3. 15वें वित्त आयोग द्वारा Million Plus Cities हेतु 2 प्रकार का Tied Grant निकायों को आवंटित किया जा रहा है:-

- Tied Grant for ambient Air Quality improvement
- Tied Grant of Water Supply, Water Conservation and SWM& Sanitation

4. 15वें वित्त आयोग द्वारा Non Million Cities हेतु भी दो प्रकार का Grant निकायों को आवंटित किया जा रहा है:-

- Basic /Un-Tied Grant जिसका उपयोग निकायों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर योजना का चयन कर किया जाना है। (Salary और Establishment Expenses को छोड़कर)

- b. Tied Grant जिसका उपयोग Water Supply, Water Conservation एवं SWM & Sanitation हेतु किया जाना है।
5. 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की राशि निकायों को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के अनुसार आवंटित किया जाता है, जिसका संधारण अब तक निकायों द्वारा निकटतम/संबंधित कोषागार में निकाय के Personal Ledger (PL) खाता में किया जाता है।
 6. सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के D.O. No. 11025-01/2018-AMRUT-IIB दिनांक 19.02.2021 द्वारा निदेश दिया गया है कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत आवंटित Tied एवं Untied Grant की राशि का संधारण बैंक खाता में किया जाय एवं बैंक खाता का Link Public Finance Management System (PFMS) से किया जाय, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
 7. झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261(b) द्वारा सहायता अनुदान में प्राप्त राशि को बैंक खाते में न रखकर संबंधित कोषागार में पी०एल० खाता खोलकर रखने का प्रावधान किया गया है, किन्तु योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प सं० वित्त-19/वित्त नियंत्रण-3006/15-2917/वि० दिनांक 30.09.2016 द्वारा झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 261(b) को शिथिल करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्रीय योजनाओं की सहायता अनुदान राशि को केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के आलोक में राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में रखी जा सकती है। उक्त के आलोक में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि को संबंधित निकायों के बैंक खाते में रखने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।
 8. उपर्युक्त परिपेक्ष्य में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन में अवरोध न हो तथा राशि के प्रबंधन में सुगमता एवं पारदर्शिता हो इस के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त Tied एवं Untied Grant की राशि संधारित करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा ।
 9. निकायों द्वारा बैंक खाते का Integration/link PFMS से कराना अनिवार्य होगा ।
 10. निकायों द्वारा राशि का भुगतान सिर्फ PFMS के माध्यम से ही किया जायेगा ।
 11. प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।
 12. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

विनय कुमार चैबे,
सरकार के सचिव ।